www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञाप्ति
दिनांक: 03.04.2017

सीबीआई ने पाँच लाख रू. की घूस स्वीकार करने पर आयकर निरीक्षक को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने शिकायतकर्ता से पाँच लाख रू. की कथित घूस की मॉंग व स्वीकार करने पर आयकर विभाग, एर्नाकुलम (केरल) के निरीक्षक (जॉंच) को गिरफ्तार किया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत आयकर विभाग, एर्नाकुलम के निरीक्षक (जॉंच) के विरूद्ध मामला दर्ज हुआ जिसमें आरोप है कि आयकर निरीक्षक ने दिनांक 09.12.2016 को शिकायतकर्ता के अस्पताल का भ्रमण किया तथा आयकर से सम्बन्धित दस्तावेजों की जॉंच पड़ताल की। ऐसा आगे आरोप है कि आयकर निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से 10,00,000 रू. की घूस यह कहते हुए ली कि उसने शिकायतकर्ता का कुछ 'पक्ष' लिया है और बाद में मॉंग को घटा कर 5,00,000 रू. कर दिया। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं शिकायतकर्ता से 5,00,000 रू. की घूस की मॉंग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी के आवासीय परिसर में तलाशी की गई जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज व 30,000 रू. (लगभग) का नकद बरामद हुआ।

आरोपी को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, एर्नाकुलम के समक्ष पेश किया गया एवं दिनांक 03.04.2017 तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। उन्हें उक्त अदालत के समक्ष आज पेश किया गया और एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया।

****